अन्तर्गत निर्णीत वाद ...
वाद मुकदमा नं. 65/2019

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आरएएस

वाद पत्र संख्या 65/2019

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. लिच्छी राम पुत्र श्री मनीराम जाति सुथार निवासी डूंगरसिंहपुरा सिंह सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. लीलाधर पुत्र श्री मनीराम पुत्र श्री मनीराम जाति सुथार निवासी डूंगरसिंहपुरा सिंह सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

— वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र श्री मनीराम अकवाम सुथार निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. मोहनलाल पुत्र श्री मनीराम अकवाम सुथार निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
4. देना बैंक शाखा गगन पथ श्रीगंगानगर वर्तमान नाम बैंक ऑफ बड़ोदा

— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री मोहनलाल सहारण (वादीगण)
अधिवक्ता श्री तरूण (प्रतिवादी–1, 2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 31.03.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार तहसील श्रीगंगानगर के चक 21 एल एन पी के खतौनी सं. 107/86 मुरब्बा नं. 27 किला नं. 5 ता 7, 14 ता 17, 25 मे 1.858 हैक्टयर नहरी बारानी मुरब्बा नं. 28 किला नं. 1, 9 ता 12, 20, 21 मे 1.771 है नहरी बारानी कुल 3.669 हैक्टयर नहरी बारानी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 21 एल एन पी के खतौनी सं. 91/75 मुरब्बा नं. 27 किला नं. 11 ता 13, 18 ता 24 मे 2.530 हैक्टयर नहरी रकबा वादी सं. 2 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एल एन पी के खतौनी सं. 68/60 मुरब्बा नं. 16 किला नं. 18 त 25 मे 2.240 हैक्टयर रकबा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर जमाबन्दी दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एल एन पी के खतौनी सं. 67/64 मुरब्बा नं. 4 किला नं. 16, 17, 24, 25 मे 0.810 है। नहरी मु.नं. 7 किला नं. 7 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मे 3.4560 है। नहरी कुल दोनो मुरब्बा मे 4.2660 है० नहरी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 शामिल वाद पत्र 7. यह कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एल एन पी के खतौनी सं. 52/51 मुरब्बा नं 1 किला नं. 1 ता 11 मे 2.7830 हैक्टयर नहरी मुरब्बा नं. 2 किला नं. 1, 10, 11, 20 मे 0.8850 हैक्टयर नहरी मय खाला कुल 3.6680 हैक्टयर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड मे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी सं. 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी 2069/2072 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एल एन पी के खतौनी सं. 53/50 मुरब्बा नं. 16 किला नं. 1 ता 17 मे 4.3010 हैक्टयर नहरी राजस्व रिकार्ड मे वादी सं. 2 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एल एन पी के खतौनी सं. 44/39 मुरब्बा नं. 1 किला नं. 12 ता 25 मे 3.5420 हैक्टयर नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के खतौनी संख्या 178/148 मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 9, 12, 18, 22 कुल 1.012 हैक्टयर नहरी बारानी मय खाला प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066/2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के खतौनी सं. 140/116 मुरब्बा नं. 56 किला नं. 1, 11 मे 0.506 है। नहरी मुरब्बा नं. 57 किला नं. 6 ता 20 सालम किला नं. 25/2 मे 0.126 है0, कुल 3.921 है0 नहरी मय खाला कुल दोनो मुरब्बो मे 4.427 है। नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड मे वादी सं. 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा सम्वत् 2066-2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के खतौनी सं 179/149 मुरब्बा नं. 57 किला नं. 21 ता 25 मे 1.012 हैक्टयर नहरी बारानी मय खाला मुरब्बा नं. 76 किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 मे 2.151 हैक्टयर नहरी बारानी कुल दोनो मुरब्बा में 3.163 हैक्टयर नहरी बारानी मय खाला राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के खतौनी संख्या 183/153 मुरब्बा नम्बर 76 किला नम्बर 22 ता 25 मे 1.012 हैक्टयर नहरी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के खतौनी सं. 145/121 मुरब्बा नं. 29 किला नं. 1 ता 3, 10 मे 0.759 हैक्टयर नहरी रकबा वादी सं. 2 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के खतौनी सं. 19/19 मुरब्बा नं. 56 किला नं. 10 सालम, मुरब्बा नं. 57 किला नं. 4, 5 सालम कुल 0.759 हैक्टयर नहरी वादी सं. 1 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के खतौनी सं. 109/100 मुरब्बा नं. 76 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 19 मे 3.212 हैक्टयर नहरी प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के खतौनी सं. 112/106 मुरब्बा नं. 29 किला नं. 10, 11, 20, 21 मे 0.911 हैक्टयर नहरी बारानी प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 21 एल एन पी के मुरब्बा नं. 32, 33 मे 24.10 बीघा रकबा जो नन्दा वल्द प्रताप निवासी श्रीगंगानगर के नाम मौरूसी रकबा था जिसमे से उसके द्वारा पूर्ण प्रतिफल लेकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा यह समस्त रकबा वादी व प्रतिवादीगण के पिता श्री मनीराम, श्योकरण व नन्दराम पिसरान रामरख को दिनांक 05-07-1944 को विक्रय कर दिया था। बरोज बैयनामा से पूर्व मे श्री मनीराम अपने हिस्सा तक व उनकी मृत्यु के उपरान्त हम वारिसान इस रकबा का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। यह रकबा जद्दी जायदाद की आमदनी से खरीद किया होने के कारण जद्दी जायदाद है। बैयनामा की फोटो प्रति संलगन वाद पत्र है। हरदेवा पिसर मुतावना पूर्ण जाति जाट सहारण ने अपनी आराजी चक गणेशगढ़ के मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 11 ता 25 व मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 1 व 11 व मुरब्बा नं. 65 के किला न. 1 ता 21 व गैर मुमकिन 116/158 मे 1/2 बीघा कुल 38 बीघा रकबा प्रतिवादीगण 1 व 2 व वादी संख्या 1 को पूर्ण प्रतिफल लेकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 23-07-1957 को विक्रय कर दिया था। यह रकबा जद्दी जायदाद की आमदनी से खरीद किया होने के कारण जद्दी जायदाद है। बैयनामा की फोटो प्रति साथ संलगन वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ के मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 6 ता 10 जो महगा सिंह वल्द किशन सिंह रामगढिया सिख का था उसने रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 26-02-1974 को वादी सं. 1 को बैय कर विक्रय कर दिया था। बरोज बैयनामा से लेकर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

आज तक वादी इस रकबा पर काबिज है व बिना किसी विघन से इस रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यह रकबा जद्दी जायदाद की आमदनी से खरीद किया होने के कारण जद्दी जायदाज है। नकल बैयनामा की फोटो प्रति साथ संलगन वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के मुरब्बा नं. 29 की 11 बीघ रकबा सांझा खाता मे था जिसमे नानूराम वल्द मल्लूराम उर्फ मालूराम जाति सुथार द्वारा 4 बीघा रकबा नहरी एवं बारानी पूर्ण प्रतिफल लेकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 17-08-1982 को प्रतिवादी सं. 1 को विक्रय कर दिया था। बरोज बैनामा से प्रतिवादी सं. 1 इस रकबा पर काबिज है व बिना किसी विघन के इस रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यह रकबा जद्दी जायदाद की आमदनी से खरीद किया होने के कारण जद्दी जायदाज है। नकल बैयनामा की फोटो प्रति साथ संलगन वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक गणेशगढ़ के मुरब्बा न. 29 के किला नं. 1, 2, 3, 10 मे 3 बीघा नहरी घोंटी देवी व मनोहरी देवी पुत्रीयान नानूराम सुथार के नाम थी। उनके द्वारा पूर्ण प्रतिफल लेकर रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 17-08-1982 को वादी सं. 2 को रकबा विक्रय कर दिया था। बरोज बैयनामा से क्रेता इस रकबा पर काबिज है व बिना किसी विघन के इस रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यह रकबा जद्दी जायदाद की आमदनी से खरीद किया होने के कारण जद्दी जायदाज है। बैयनामा की फोटो प्रति साथ संलगन वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एल एन पी का खाता संख्या 12/17 जिसमे 34 बीघा 16 बिस्वा रकबा काशीराम पुत्र श्री नानूराम जाति जागिड़ ब्राह्मण निवासी डूंगरसिंहपुरा के नाम था। जिसमे उसके द्वारा 16 बीघा 17 बिस्वा रकबा मे अपना 1/2 मे 8 बीघा 8-1/2 बिस्वा रकबा सोहन पुत्र श्री मनीराम प्रतिवादी सं. 1 को विक्रय कर दिया था बरोज बैयनामा से क्रेता इस रकबा पर काबिज है व बिना किसी विघन से इस रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यह रकबा जद्दी जायदाद की आमदनी से खरीद किया होने के कारण जद्दी जायदाज है। यनामा की फोटो प्रति साथ संलगन वाद पत्र हैं। कालूराम पुत्र श्री नानूराम द्वारा अपने खाते की चक 19 एल एन पी के रकबा का 16 बीघा 17 बिस्वा मे 1/2 हिस्सा 8 बीघा 8-1/2 बिस्वा रकबा सोहन लाल पुत्र मनीराम को विक्रय कर दिया था। बरोज बैयनामा से क्रेता इस रकबा पर काबिज है व बिना किसी विघन से इस रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यह रकबा जद्दी जायदाद की आमदनी से खरीद किया होने के कारण जद्दी जायदाज है। बैयनामा की फोटो प्रति साथ संलगन वाद पत्र है। कालूराम पुत्र श्री नानूराम जाति सुथार द्वारा चक गणेशगढ़ के मुरब्बा नं. 28, 29 मे अपना 3 बीघा 12 बिस्वा रकबा वादी मोहन लाल पुत्र श्री मनीराम को रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा पूर्ण प्रतिफल देकर दिनांक 17-08-1982 को खरीद कर लिया था। बरोज बैयनामा से क्रेता इस रकबा पर काबिज है। व बिना किसी विघन से इस रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यह रकबा जद्दी जायदाद की आमदनी से खरीद किया होने के कारण जद्दी जायदाज है। बैयनामा की फोटो प्रति साथ संलगन वाद पत्र है। वादी व प्रतिवादीगण के नाम पुश्तैनी व खरीदशुद्धा कुल रकबा 19 एल एन पी मे 70.10 बीघा, चक 21 एल एन पी में 24.10 बीघा व चक गणेशगढ़ मे 61 बीघा रकबा कुल 156.10 बीघा के लगभग रकबा था। उपरोक्त समस्त रकबा संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पति थी। वादीगण व प्रतिवादीगण के परिवार काफी बड़े हो गये थे। रकबा कई चको मे व कई मुरब्बो मे नहरी बारानी होने के कारण व रकबा किसी भाई के नाम के रकबा को हर जगह काश्त करने व खरीदशुद्धा अनुसार काश्त करने में दिक्कत आ रही थी। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक जगह काश्त करना बेहद खर्चीला व असंभव हो गया था इस कारण वादीगण व प्रतिवादीगण ने काश्त की सहूलियत अच्छी आबदृपाशी, अच्छी माड़ी के हिसाब से नहरी बारानी के हिसाब से हक व हिस्सा अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संयुक्त सम्पति का घरेलू बंटवारा कर लिया था। इस घरेलू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने हक व हिस्सा पर काबिज है।घरू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा रकबा निम्न प्रकार आया है-

(क). वादी संख्या 1 लिच्छी राम का हिस्सा रकबा चक 19 एल एन पी मुरब्बा नं. 16 किला नं. 1 ता 25 मे 6.325 हैक्टयर मुरब्बा नं. 4 किला नं. 16/1 मे 0.127 हैक्टयर, कि.नं. 17, 24 सालम, कि.नं. 25/1 मे 0.126 हैक्टयर कुल 0.769 है0 मुरब्बा नं. 7 कि.न. 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

ता 7, 14 ता 17 सालम, कि.नं. 24 मे 0.063 है0 कि.नं. 25 सालम कुल तीनो मुरब्बो मे 35. 05 बीघा अर्थात् 8.913 हैक्टयर

(ख)– वादी संख्या 2 लीलाधर का हिस्सा रकबा चक 21 एल एन पी के मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 5 ता 7, 11 ता 25 कुल 18 बीघा 4.554 है0, मुरब्बा नं. 28 किला नं. 1, 9 ता 12, 20, 21 मे 1.771 है। चक गणेशगढ मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 1 ता 3, 9, 10, 11/1 मे 0.228 है0 कि.नं. 12, 18, 20 ता 22 कुल 2.758 हैक्टयर कुल दोनो चको मे 8. 913 हैक्टयर।

(ग)– प्रतिवादी संख्या 1 सोहन लाल का हिस्सा रकबा चक गणेशगढ मुरब्बा नं. 57 कि.नं. 4 ता 25 सालम अर्थात् 5.313 है0, मुरब्बा नं. 76 कि.नं. 1 ता 25 सालम अर्थात् 6 325 है0, मुरब्बा नं. 56 किला नं. 1, 10, 11 मे 0.759 है0 कुल 50 बीघा अर्थात् 12.650 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 2 मोहन लाल का हिस्सा रकबा चक 19 एल एन पी मु.न. 1 की 25 बीघा अर्थात् 6.325 है0, मु.नं. 2 किला नं. 1, 10, 11, 20/1 मे 3.10 बीघा, मुरब्बा नं. 7 किला नं. 2, 3, 8, 13, 23 प्रत्येक सालम, 24 मे 0.190 है0 कुल 35.05 बीघा अर्थात् 8.913 हैक्टयर।

वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरेलू वंटवारानुसार जिस प्रकार प्रत्येक पक्ष मे हिस्सा मे रकबा आया है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के यहां सहमति के ब्यान कर दो। ताकि सबका खाता विभाजन हो जाये। पहले तो वह आज कल आज कल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो इस घरेलू वंटवारा को नही मानते और ना ही आपके पक्ष मे सहमति के ब्यान करते है तुम्हे जो करना है सो करो बस यही विनाय दावा है। जो वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है। प्रतिवादीगण को इस बात का इल्म होने पर कि उनके नाम रकबा ज्यादा व नहरी दर्ज है। इस कारण उनके मन मे बदयान्ती आ गयी है और वह गांव मे ऐलानीयां कहने लगे है कि हम तो इस रकबा पर जबरन कब्जा करेगें अगर इसमे कामयाब नही हुए तो इस रकबा को रहन बैय करेंगे। अगर वह अपने इस मक्सद मे कामयाब हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नही हो सकेगी। वादीगण ने अपने हिस्सा से महरूम हो जावेगे और आईन्दा मुकदमे बाजी बढ़ेगी। इस कारण ता फैसला दावा प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पावन्द किया जाना आवश्यक व जरूरी है। वादीगण को घरू वंटवारानुसार प्राप्त रकबा को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए दावा दायरी के अलावा अन्य कोई विधिक उपचार उपलब्ध नहीं है। इस कारण वादीगण वाद पत्र पेश करने के अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है आवश्यक पक्षकार है, इसलिए उसको प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार डिग्री फरमाया जावे।

(क)– घोषित किया जावे कि वादी व प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या 27 के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियान अलग अलग कायम किया जावे।

(ख)– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग)– प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पावन्द किया जावे। कि वह दौराने दावा रकबा को रहन बैय अन्य किसी दिगर तरीके से कब्जा करने की कोशिश ना करे।

(घ)– अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत व हम वादीगण के पक्ष मे हो प्रदान किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवदी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 05.07.2019 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण आपस मे सगे भाई है जिनका नजदीकी रिश्तेदारान व गांव के मौतबिरान ने आपस मे राजीनामा करवा दिया है इस राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अनुसार दोनो पक्षकार अपने अपने हिस्सा पर काबिज है व बिना किसी विघन के रकबा का उपयोग व उपभोग कर रहे है। राजीनामा निम्न प्रकार से है :-

(क)- वादी संख्या 1 लिच्छी राम का हिस्सा रकबा चक 19 एल एन पी मुरब्बा नं. 16 किला नं. 1 ता 25 मे 6.325 हैक्टयर मुरब्बा नं. 4 किला नं. 16/1 मे 0.127 हैक्टयर, कि.नं. 17, 24 सालम, कि.नं. 25/1 मे 0.120 हैक्टयर कुल 0.769 है0 मुरब्बा नं. 7 कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17 सालम, कि.नं. 24 मे 0.063 है0 कि.नं. 25 सालम कुल तीनो मुरब्बो मे 35.05 बीघा अर्थात् 8.913 हैक्टयर

(ख)- वादी संख्या 2 लीलाधर का हिस्सा रकबा 'चक 21 एल एन पी के मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 5 ता 7, 11 ता 25 कुल 18 बीघा 4.554 है0, मुरब्बा नं. 28 किला नं. 1, 9 ता 12, 20, 21 मे 1.771 है। चक गणेशगढ़ मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 1 ता 3, 9, 10, 11/1 मे 0.228 है0 कि.नं. 12, 18, 20 ता 22 कुल 2.758 हैक्टयर कुल दोनो चको मे 8. 913 हैक्टयर।

(ग)- प्रतिवादी संख्या 1 सोहन लाल का हिस्सा रकबा चक गणेशगढ़ मुरब्बा नं. 57 कि.नं. 4 ता 25 सालम अर्थात् 5.313 है0, मुरब्बा नं. 76 कि.नं. 1 ता 25 सालम अर्थात् 6. 325 है0, मुरब्बा नं. 56 किला नं. 1, 10, 11 मे 0.759 है0 कुल 50 बीघा अर्थात् 12.650 हैक्टयर

(घ)- प्रतिवादी संख्या 2 सोहन लाल का हिस्सा रकबा चक 19 एल एन पी मु.नं. 1 की 25 बीघा अर्थात् 6.325 है0, मु.नं. 2 किला नं. 1, 10, 11, 20/1 मे 3.10 बीघा, मुरब्बा नं. 7 किला नं. 2, 3, 8, 13, 23 प्रत्येक सालम, 24 मे 0.190 है0 कुल 35.05 बीघा अर्थात् 8.913 हैक्टयर।

अतः यह राजीनामा पक्षकारान ने अपनी सहमति से मय होश हवास बिना नशा पता बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है ताकि सन्नद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम गणेशगढ, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 19/19, जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम गणेशगढ, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 145/121, जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम गणेशगढ, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 109/100, जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम गणेशगढ, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 112/106, जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम गणेशगढ, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 178/148, जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम गणेशगढ, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 179/149, जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम गणेशगढ, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 183/153, जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम गणेशगढ, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 140/116, जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम 19 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 67/64, जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम 19 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 68/60, जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम 19 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 53/50, जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम 19 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 68/60, जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम 19 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 50/53, जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम 19 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 52/51, जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम 19 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 44/39, जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 ग्राम 19 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 45/59, जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम 21 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 91/75, जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 ग्राम 21 एलएनपी, पटवार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतोवाला खाता संख्या 107/86, जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 ग्राम 21 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतोवाला खाता संख्या 108/39 की प्रतियां पेश की।

–: आदेश :–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	लिच्छीराम (वादी संख्या 1)	चक 19 एल एन पी मुरब्बा नं. 16 किला नं. 1 ता 25 मे 6.325 हैक्टयर मुरब्बा नं. 4 किला नं. 16/1 मे 0.127 हैक्टयर, कि.नं. 17, 24 सालम, कि.नं. 25/1 मे 0.126 हैक्टयर कुल 0.769 है0, मुरब्बा नं. 7 कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17 सालम, कि.नं. 24 मे 0.063 है0 कि.नं. 25 सालम कुल तीनो मुरब्बो मे 35.05 बीघा अर्थात् 8.913 हैक्टयर
2	लीलाधर(वादी संख्या 2)	चक 21 एल एन पी के मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 5 ता 7, 11 ता 25 कुल 18 बीघा 4:554 है0, मुरब्बा नं. 28 किला नं. 1, 9 ता 12, 20, 21 मे 1.771 हैक., चक गणेशगढ़ मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 1 ता 3, 9, 10, 11/1 मे 0.228 है0 कि.नं. 12, 18, 20 ता 22 कुल 2.758 हैक्टयर कुल दोनो चको में 8.913 हैक्टयर।
3	सोहनलाल (प्रतिवादी सं.1)	चक गणेशगढ़ मुरब्बा नं. 57 कि.नं. 4 ता 25 सालम अर्थात् 5.313 है0, मुरब्बा नं. 76 कि.नं. 1 ता 25 सालम अर्थात् 6.325 है0, मुरब्बा नं. 56 किला नं. 1, 10, 11 मे 0.759 है0 कुल 50 बीघा अर्थात् 12.650 हैक्टयर
4.	मोहनलाल (प्रतिवादी सं.2)	चक 19 एल एन पी मु.नं. 1 की 25 बीघा अर्थात् 6.325 है0, मु.नं. 2 किला नं. 1, 10, 11, 20/1 में 3.10 बीघा, मुरब्बा नं. 7 किला नं. 2, 3, 8, 13, 23 प्रत्येक सालम, 24 मे 0.190 है0 कुल 35.05 बीघा अर्थात् 8.913 हैक्टयर।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क की गणना करवाकर स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत होने के पश्चात्

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 31.03.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

...कारी (राजस्व)
...(राज.)*